न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29 / 2012

बउनवान

गट्टूबाई पत्नि मूलीलाल धाकड, निवासी रातडिया (मृतक)

1. मदनलाल आयु 53 साल पुत्र मूलीलाल, जाति धाकड निवासी रातडिया
2. गीताबाई पत्नि प्रभूलाल धाकड
3. राधाबाई पुत्री रघुनाथ धाकड
4. सन्तोषबाई पुत्री नंदकिशोर धाकड निवासीगण ब्रम्हपुरी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. तहसीलदार अन्ता
2. एन.टी.पी.सी. (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि0) जर्ये प्रबन्धक एन.टी.पी.सी. अन्ता
3. उप–प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) एन.टी.पी.सी. अन्ता
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप–जिला कलक्टर, बारां
5. भूमि अवाप्ति अधिकारी एन.टी.पी.सी. अन्ता, चम्बल परियोजना नवीन भवन जिलाधीश कार्यालय कोटा (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 116 आदेश दिनांक 31.05.2002 वाके चक शाहाबाद अन्ता अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री रमेश चंद गोयल एडवोकेट (रेंस्पोडेंट्)

निर्णय दिनांक 29.03.2023

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल चक शाहाबाद तहसील अन्ता में आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 7 बीघा 15 बीस्वा बखाता गट्टूबाई पत्नि मूलीलाल धाकड निवासी रातडिया हिस्सा 1/2, गीताबाई, संतोषबाई पुत्रीयां नन्दकिशोर व राधाबाई पुत्री रघुनाथ धाकड निवासी अन्ता के दर्ज रही है। सरकार द्वारा बंदोबस्त करने पर नवीन खसरा नंबर 86 रकबा 1.16 है. के रूप में कायम हुई है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि [illegible] होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी को अधिग्रहण अधिकारी नियु[illegible] ने कृषि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही संस्थित की। जिसकी प्र[illegible] आपस में भूमि को लेकर विवाद था। जिसके चलते न्यायालय उपखण्ड बारां में 1979 से वाद ज[illegible] रहने के कारण अपीलांट्स में से किसी ने भी उक्त अव[illegible]शुदा भूमि का मुआव[illegible]प्त नही किया। रेस्पोडेन्ट ने बिना विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये अपीलांट्स को भूमि अवाप्ति की अवार्ड राशि का भुगतान किये भूमि पर एन.टी.पी.सी. अन्ता के पक्ष में नामान्तकरण प्रमाणित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:02 IST
Reason: SelfAttested

दिया। अवार्ड राशि का भुगतान हुये बिना अपीलांट्स की खातेदारी समाप्त करना स्पष्टतः विधि विरूद्व है। खातेदारा गट्टूबाई का स्वर्गवास हो गया है। अपीलांट मदनलाल मृतका गट्टूबाई का एक मात्र जायज वारिस है। अतः निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में प्रमाणित इंतकाल नंबर 116 दिनांक 31.05.2002 बाबत् पूर्व आरजी खसरा नंबर 35 हाल 86 रकबा 1.16 है. निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पूर्वानुसार अपीलांट्स की खातेदारी दर्ज करवाई जावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स कम 2, व 3, जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिये बगैर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इंतकाल दर्ज किया जाना विधि विरूद्व होने से अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त फरमाया जावें। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का नामांतकरण दर्ज करने से संबंधित अवार्ड की प्रति अपीलांट्स को भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा/बारां से प्राप्त नही हुई है। जिससे स्पष्ट है कि अवाप्ति के समय खाली पडी सभी भूमियों का नामांतकरण बगैर किसी आदेश के एन.टी.पी.सी. के नाम दर्ज कर दिया। अतः उक्त नामांतकरण निरस्त किया जाकर भूमि पूर्व स्थिति अनुसार अपीलांट्स के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ने इसी भूमि के बाबत् एवं इसी अधिग्रहण में निर्धारित अवार्ड राशि को बढाने के लिए धारा 18 Land Acquisition Act 1994 में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में कार्यवाही की थी, जो दिनांक 11.01.2023 को खारिज फरमा दी गई। भूमि अधिग्रहण नियमानुसार होने के बाद धारा 16 व 17 Land Acquisition Act 1994 में सरकार द्वारा हितधारीयों से भूमि का कब्जा लेकर एन.टी.पी.सी. को दिया गया, तथा नामांतकरणं नंबर 116 दिनांक 31.05.2002 एन.टी.पी.सी. के नाम खोला गया। भूमि पर एन.टी.पी.सी. अन्ता का कब्जा है। धारा 16 व 17 Land Acquisition Act 1994 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा प्रथमतः लिया जाता है, तो ऐसी भूमि का Acquisition से Release नही किया जा सकता है। Possession लिये जाने पर भूमि सरकार में समाहित हो जाती है। अपने इस कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने विधिक दृष्टात ए.आई.आर. 2014 सुप्रीम कोर्ट 279 तथा 2021 (1) डी.एन.जे. राज 19 की छायाप्रतियां पेश की। यदि इंतकाल निरस्त किया जाता है, तो भूमि वापस हितधारीयों के खाते दर्ज होगी। जो उक्त विधि दृष्टातो के अनुसार विधि संगत नही है। अपीलान्ट्स में आपस में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में अधिग्रहण के समय लंबित होने से स्वयं अपीलांट ने उपखण्ड बारां से मुआवजा ... नही किया जावें। इस बाबत् स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिसका निर्णय ... एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा जब जब भी भूमि अधिग्रहण अधि... की है, तब भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास राशि जमा कराई है। तथा कोई राशि भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा बकाया नही होना बताया है। अतः अपीलांट्स की अपील निरस्त फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:02 IST
Reason: SelfAttested

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने प्रस्तुत विधि दृष्टात प्रकरण पर चस्पा नही होना बताया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट ने भूमि अवाप्ति की अवार्ड राशि का भुगतान किये बिना भूमि का नामांतकरण गलत रूप से एन.टी.पी.सी. के नाम दर्ज करने के आधार पर यह अपील पेश की है। जबकी भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश कमांक भूमि अवाप्ति/2001/2294 दिनांक 15.12.2001 की पालना में नामांतकरण दर्ज किया गया है। अपीलांट का यह कथन है कि उसे अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त नही हुआ, अतः नामांतकरण गलत रूप से दर्ज किया गया है। जबकि प्रश्नगत नामांतकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश के तहत दर्ज हुआ है। यदि अपीलांट्स को मुआवजा राशि प्राप्त नही हुई है तो वह सक्षम स्तर पर इस बाबत् कार्यवाही करने हेतु स्वतंन्त्र है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि अपीलांधीन नामांतकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश के तहत दर्ज किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि होना नही पाया जाता है। तथा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:02 IST
Reason: SelfAttested